न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 918/111/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 19–02–2014 – पारित – व्दारा तहसीलदार छतरपुर – प्रकरण कमांक 3/2007–08/अ– 6

1– मुरारीलाल सोनी पुत्र मुन्नालाल
2– जुगलकिशोर सोनी पुत्र मुन्नालाल
3– विनोद सोनी पुत्र मुन्नालाल
4– सुरेश कुमार सोनी पुत्र मुन्नालाल
चारों ग्राम पिपरसनिया
मोहल्ला छतरपुर मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूध्द

1– बलवीर सिंह पुत्र स्वामी सिंह यादव
बार्ड नं0 33 सटई रोड थाना सिविल लाईन
छतरपुर मध्य प्रदेश
2– कुंवर विकम सिंह उर्फ नातीराजा
पुत्र बलबंत सिंहजू देव
निवासी राजमहल खजुराहो तहसील
राजनगर जिला छतरपुर ––अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा
अनावेदक 1 के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक क–2 के अभिभाषक श्री दिलीप पासी

आदेश

(आज दिनांक 20-5 – 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 3/2007–08/अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19–2–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार छतरपुर को म0प्र0भू राजस्व संहिता , 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत

कर मांग की कि मौजा छतरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 3664 रकबा 62.142 हैक्टर महाराज भवानीसिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है उक्त भूमि में से 7 एकड़ भूमि की बसीयत आवेदक के पक्ष में है। गवाहन के समक्ष दिनांक 23—2—94 को महाराज छतरपुर व्दारा बसीयत की गई एंव कब्जा दे दिया गया। दिनांक 12—9—06 को महाराज भुमानीसिंह का निधन हो गया है , इसलिये बसीयत के आधार पर नामांत्रण किया जावे। तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण कमांक 03/07—08 अ 6 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदकगण व्दारा आपत्ति दिनांक 24—1—14 प्रस्तुत कर मांग रखी थी कि व्यवहार न्यायालय के वाद कमांक 47 ए/11 में पारित आदेश दिनांक 05 सितम्बर 2013 के प्रभाव के कारण तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण निरस्त कर दिया जावे। तहसीलदार छतरपुर ने उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 19—2—14 पारित किया तथा आपत्ति निरस्त कर प्रकरण आपत्तिकर्ता के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो के कम में उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है, उभय पक्ष की लेखी बहस के अवलोकन के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 24—1—14 से मांग रखी थी कि व्यवहार न्यायालय के वाद कमांक 47 ए/11 में पारित आदेश दिनांक 05 सितम्बर 2013 के प्रभाव के कारण तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण निरस्त कर दिया जावे। इस आपत्ति के उत्तर में अनावेदक क—1 ने बताया है कि सिविल न्यायालय में प्रचलित वाद में आवेदक पक्षकार नहीं रहा है जिसके कारण सिविल न्यायालय का आदेश बंधनकारी नहीं है । दोनों पक्षों को आपत्ति पर श्रवण कर तहसीलदार ने

निष्कर्ष निकाला है कि आपतितकर्ता की आपतित बाजिव नहीं है और उन्होंने आपत्ति अमान्य की है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या तहसीलदार द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति अमान्यकरने में किसी प्रकार की त्रुटि की है? तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 3/अ–6/2007–08 में आये तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आपत्तिकर्ता द्वारा व्यवहार वाद कमांक 47ए/2011 में पारित 5–9–13 प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय के आदेश को बंधनकारी होना बताकर प्रकरण निरस्त करने की मांग रखी है किन्तु इस प्रकरण में सरस्वती प्रसाद कुशवाहा आदि विरूद्ध श्रीमती भ्भावना कुमारी आदि पक्षकार रहे हैं, जिसमें बलवीर सिंह यादव (अनावेदक कं –1) पक्षकार नहीं है, जिसके कारण तहसीलदार ने उक्त आदेश अनावेदक कं–1 यपर बंधनकारी होना नहीं माना है और इन्हीं कारणों से तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता (आवेदकगण) की आपत्ति निरस्त कर प्रकरण आगे की तिथियों में सुनवाई हेतु लगाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–6/2007–08 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19–2–14 स्थिर रखा जाता है एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर